

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीबी/पीएमएस/एफ-2119/2017/

दिनांक :-

--: आदेश :-

श्री सुगर सिंह, लैब टेक्नीशियन, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के द्वारा चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों तथा अन्य लैब टेक्नीशियनों के साथ अभद्र भाषा/दुर्व्यवहार करना, राजकार्य में बाधा पहुँचाने के संबंध में इनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित होने के कारण मेरी राय में इन्हें राज्यसेवा से निलम्बित किया जाना आवश्यक है।

अतः राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुगर सिंह, लैब टेक्नीशियन को तुरन्त प्रभाव से राज्यसेवा से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बनकाल में इनका मुख्यालय, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर कार्यालय में रहेगा तथा इन्हें निलम्बनकाल में वेतन का 50 प्रतिशत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर।

क्रमांक : सीबी/पीएमएस/एफ-2119/2017/ 2002

दिनांक :- 8/9/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकि० एवं स्वा० विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकि० एवं स्वा० विभाग, राज०, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
5. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 9251 दिनांक 08.09.2017 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति संबंधित कार्मिक को सुपुर्द कराकर, तामील रसीद भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि निलम्बित कार्मिक द्वारा आपके मुख्यालय पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से अवगत करावे एवं यह सुनिश्चित करले कि वे आपकी पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े तथा नियमित रूप से उपस्थिति अंकित करें।
7. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित/डी.पी.सी. अनुभाग, मुख्यालय।
8. श्री सुगर सिंह, लैब टेक्नीशियन (निलम्बित) को द्वारा क्रम संख्या-04 व 05
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर।